139

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 734–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–12 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 35/अपील/11–12.

रामनारायण पुत्र किशोरी लाल
निवासी ग्राम खामखेडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– गोरा बाई विधवा हरी नारायण विश्वकर्मा
निवासी तालाब मोहल्ला, वार्ड नम्बर 9 रायसेन
तहसील व जिला रायसेन

2– लक्ष्मी नारायण पुत्र स्व. किशोरी लाल
निवासी ग्राम खामखेडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक, आवेदक
श्री एल.एन. मालवीय, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल की संशोधन पंजी कमांक 20 पर पारित आदेश दिनांक 19–10–01 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 5–9–2011 को

लगभग 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 35/अपील/11–12 दर्ज कर दिनांक 14–12–12 आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील समाप्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत किये गये थे कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई एवं सूचना का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, इसलिए आदेश की जानकारी नहीं हो सकी । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार यिके अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट किया गया था कि जब उसे बटवारा/बटांकन का नोटिस दिनांक 23–8–2011 प्राप्त हुआ, तब आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को यह देखना थी कि अनावेदकगण द्वारा पात्रता से अधिक भूमि प्राप्त कर ली गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपील निरस्त नहीं कर गुण–दोष पर निराकरण चाहिए था ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का जो कारण दर्शाया गया है, वह सद्भाविक नहीं है, क्योंकि आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है । अतः 11 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील अत्यधिक अवधि बाह्य थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित

कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं, इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक को नामांतरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है ।

तर्कों के समर्थन में 2008 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 32, 1978 आर.एन. 222ख 2007 आर. एन. 359, 2005 आर.एन. 219 एवं 2002 (2) जे.एल.जे. 228 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी कमांक 20 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रविष्टियों में काट–छॉट कर रकबे में परिवर्तन किया गया है और काट–छॉट किये जाने संबंधी किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, अतः स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी कमांक 20 पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अपील का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–12 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर